भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1918** जिसका उत्तर
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025 (25 **अग्रहायण**, **1947,(शक))** को दिया जाना है

जहाज निर्माण और पुनचर्क्रण पैकेज के तहत रोजगार और कल्स्टर विकास

1918 **श्री मिलिंद मुरली देवरा :**

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषित जहाज निर्माण और जहाज पुनर्चक्रण पैकेज के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की क्षमता का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित जहाज निर्माण क्लस्टरों तथा इस्पात, संभारतंत्रों तथा समुद्री उपकरण विनिर्माण जैसे सहायक उद्योगों में सृजित होने वाली नौकरियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत जहाज निर्माण क्षेत्र में सप्लाई- साइड और डिमांड- साइड से जुड़े मुद्दों, जैसे मांग एकत्रीकरण, आश्वासन और दृश्यता को हल करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क, भूमि की उपलब्धता, सहायक सुविधाओं जैसे संपर्क अवसंरचना की भूमिका सहित राज्यों में जहाज निर्माण क्लस्टरों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सरकार ने 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है, जिसकी विशेषता घरेलू क्षमता, समुद्री वित्तपोषण, शिपयार्ड विकास, कौशल और सुधारों को सुदृढ करने संबंधी चार-स्तंभ वाला दृष्टिकोण है। पोत निर्माण को भारी इंजीनियरिंग में मातृ उद्योग के रूप में जाना जाता है, जहां निर्मित पोतों के मूल्य में अधिकांश योगदान भारी इंजीनियरिंग उद्योग जैसे इस्पात, यांत्रिक/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपोजिट आदि का होता है। इसके अतिरिक्त, पोत निर्माण उद्योग के विकास से सहायक उद्योग का भी विकास होता है। पोत निर्माण के उच्च रोजगार गुणक को देखते हुए, लगभग 22 लाख (~ 2.2 मिलियन) नौकरियों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की संभावना है।

(ग): जी, हां। सरकार ने पोत निर्माण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष, दोनों पक्षों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई उपाय किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच हितधारक परामर्श किए गए, जिनमें पोत निर्माण उद्योग के लिए जलयान ऑर्डर की लक्ष्यता प्रदान करने वाले कार्गो उत्पादक मंत्रालय शामिल हैं।

(घ): ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों के लिए अनुमोदन, भूमि की पर्याप्त उपलब्धता, रेल और सड़क संपर्कता सहित अवस्थितिगत व्यवहार्यता, राज्य औद्योगिक नीति, संभावित निवेशकों की रुचि आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।
